THE CONSTITUTION (AMEND-MENT): BILL, 1968 (TO AMEND ARTICLE 316)

SHRIN.R. MUNISWAMY (Madras): Sir, I move for le*ave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI N. R. MUNISWAMY: I introduce the Bill

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): We go back to further consideration of the following motion moved by Shri Bhupesh Gupta on the 14th March, 1968, namely:

"That the Bill further to amend the Constitution o5 India be taken into consideration."

Mr. Vaishamp*ayen.

THE CONSTITUTION (AMEND-MENT) BILL, 1964 (TO AMEND ARTICLE 291—continued.

श्री एस० के० वैशपायन (महाराष्ट्र) : बाइस चेयरमेन सर, इस सदन के सामने माननीय भपेश गप्त जी ने विधेयक पेश किया है वह नरेशों की तनस्वाहों और विशेषाधिकारों के बारे में है ग्रीर उसमें जो तत्व अन्तरभत हैं उससे मैं सहमत हं मगर इन तनख्वाहों को, इन विशेषाधिकारों को किस तरह से बन्द करना चाहिये, उसके लिये कौन सी पद्धति स्वीकार करनी चाहिये इस के बारे में मतभेद हो सकता है, किन्त इस विषय के बारे में तो कोई मतभेद नहीं होना चाहिये क्योंकि इस बिल का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पहले ही खाल इंडिया वांग्रेस कनेटी ने अपने प्रस्ताव में पेशं किया है और उसमें यह साफ है कि ये जो तनख्वाहें श्रीर विशेषा-धिकार नरेशों के, राजा महाराजाओं के हैं ये सब खम्म होने चाहियें । इस जीवन में, इस लोकशाही के जीवन में, श्रब ऐसा समय आ गया है कि ये जो तनख्वाहें और ये जो

विशेषाधिकार हैं वे उससे विसंगत ह और उसके साथ जाने वाले नहीं हैं, तो इम लिह' ज से देखा जाय तो इस बिल के बारे में या उसमें जो उसल है उसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां पर इस सदन में हमारे ही पक्ष के एक सदस्य ने इस बिल की एक तरह से मुखालिफत ही की है ग्रौर जो नरेश हैं उनका एक तरह से समर्थन उन्होंने किया। मैं यह समझ सकता हं कि जो स्वतंत्र पक्ष के सदस्य हैं उनके हारा इसकी मुखालिफत हो। वह तो समझ सकता हं या वैसे ही जनसंघ में से किसी ने, जो प्रतिगामी दल है, उसने इसकी मुखालिकत की होती तो मैं समझ सबता था और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता परन्त मुझे ग्राण्चयं लगा कि कांग्रेस के एक सदस्य ने ये तनस्थाहें बन्द करने ग्रौर यह विशेषा-धिकार को खतम करने का जो विषय है उसकी मुखालिफत की है। ग्राज वीसवीं सदी में जब कि हमने लोकशाही जीवन को को इतना ऊंचा उठा लिया है तब ऐसी अवस्था में यह कैसे हो सकता है कि नरेंगों महाराजाग्रों के के विशेषाधिकार या विशेषाधिकार या उनकी इतनी बड़ी बड़ी तनस्वाहें चाल रखें।

जहाँ तक कि इन विषय का, जो काननी
जुज है, इस विषय का जो वैद्यानिक स्वरूप
है उसके बारे में मैं समझता हूं कि गृह
मंत्रालय ने या कानून मंत्रालय ने काफी
ग्रभ्यास किया है ग्रीर जो रिपोर्ट ग्रखवारों
में ग्राई है उसको देखते हुए यह साफ है कि इस
विधेयक के बारे में कोई भी कानूनी, कोई भी
वैद्यानिक मुश्किलात नहीं रही है। तो मैं
समझता हूं कि इस विधेयक को ग्रीर इस
विधेयक का जो उसूल है उसको ग्रमल में लाने
में कोई भी मुस्किलात ग्राज देश के सामने
या हम रे स मन नहीं है। इस विधेयक में जो
संविधान के ग्राटिकल की बात है उसके ग्रलावा
एक ग्रीर धारा है जिसमें जो तनस्वाह देने की